फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰

प्रकरण सं॰ .... तारीख रजू *09.12.2021* **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा॰का॰अधि॰**

.... मजीद .... **बनाम** .... रफीक . वगै॰ ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म जारी हुआ
09.12.2021	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा॰का॰अधि॰ मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश किया तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.01.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.2908, 165 रकबा 0.0885, 179/0.1896, 272/145 रकबा 0.1390, 274/136 रकबा 0.1138, 276/162 रकबा 0.1011, 278/177 रकबा 0.1264 कुल किता 7 रकबा 1.0492 वाके ग्राम शाकीपुर तहसील गोविन्दगढ़ में उभय पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें, क्यों ना उक्त आदेश को ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली ग्राम पंचायत शिविर रामबास में दिनांक 19.01.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
19/1/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 14/2/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
14/2/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी [illegible] को [illegible] [illegible] वास्ते [illegible] तलबी [illegible] पत्रावली दिनांक 24.2.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
24/2/22	वकुलाए फरीकेन उप०/P.O. साहब ...अलवर मीटिंग में...है। पत्रावली दिनांक......को पेश हो [illegible]/3/22 रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
11.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र-212 RTA NOT PRESS कर खारिज करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA वकील प्रार्थी के NOT PRESS में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र - 212 RTA कैसल शुमार होकर नं. से कम हो। बाद तामिल तकमील मूल वाद के संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰	NOT press [illegible]